रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 341] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 1975/पौष 9, 1897
No. 341] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 1975/PAUSA 9, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December 1975

Draft Cost Accounting Records Rules for the Class of Companies Manufacturing Industrial Alcohol

COST ACCOUNTNG RECORDS (INDUSTRIAL ALCOHOL) RULES, 1975

G.S.R. 594(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642 read with clause (d) of sub-section (1) of section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules, namely:

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Industrial Alcohol) Rules 1975.

(2) They shall come into force on the 1st da of January, 1976.

2. **Application.**—They shall apply to every co any engaged in the production, processing or manufacturing of industrial a hol which includes any grade or grades in the following categories, namely:

(i) Absolute Alcohol
(ii) Rectified Spirit
(iii) Denatured and special denatured spirit
(iv) Power Alcohol

3. **Maintenance of records.**—(1) Every company to which these rules apply shall, in respect of each of its financial year commencing on or after the commencement of these rules, keep proper books of account containing *inter alia* the particulars specified in Schedules I and II annexed to these rules relating to the utilisation of materials, labour and other items of cost in so far as they are applicable to industrial alcohol.

Providled that if the said company is manufacturing any other products or engaged in other activities in addition to industrial alcohol, the particulars relating to utilisation of materials, labour and other items of cost in so far as they are applicable to such other products or activities shall not be included in the cost of industrial alcohol.

(2) The books of account referred to in sub-rule (1) shall be kept in such a way as to make it possible to calculate the cost of production and cost of sale of each category of industrial alcohol during a financial year (hereinafter referred to as the relevant period) from the particulars entered therein. Such books of account and the proformae specified in Schedule II shall be completed within ninety days from the end of the financial year of the company.

(3) It shall be the duty of every person referred to in sub-section (6) and sub-section (7) of section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), to take all reasonable steps to secure compliance by the company with the provisions of sub-rules (1) and (2) in the same manner as they are liable to maintain financial accounts as required under sub-section (1) of section 209 of the said Act.

4. **Penalty.**—If a company contravenes the provisions of rule 3, the company and every officer thereof who is in default, including the persons referred to in sub-rule (3) of rule 3, shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees and, where the contravention is a continuing one, with a further fine which may extend to fifty rupees for every day after the first during which such contravention continues.

SCHEDULE I

(*See* rule 3)

1. *Materials*:

(a) *Raw materials—Molasses.*—(i) Proper records shall be maintained showing separately the quantity and cost of different grades of molasses procured from the sugar factory of the company and from other sources, if any.

(ii) These records shall contain such details as to enable the company to determine the quantity and cost of receipts (including all direct charges incurred upto the works), issues and balances. The basis on which the said quantities and costs have been calculated shall be clearly indicated in the cost records.

(b) *Process Materials.*—Proper records shall be maintained to show the receipts, issues and balances both in quantities and cost of each item of the process materials such as sulphuric acid, caustic soda, ammonium sulphate, urea, yeast, de-hydrants and denaturants. The costs shall include all direct charges upto works, wherever specifically incurred. The issues shall be properly identified with the departments and products manufactured.

(c) *Consumable stores, Small tools, Machinery spares, etc.*—(i) Proper records shall be maintained to show the receipts, issues and balances both in quantities and cost of each item of consumable stores, small tools, and machinery spares. The costs shown shall include all direct charges upto works, wherever specifically incurred.

(ii) In the case of consumable stores and small tools the costs of which are insignificant, the company, if it so desires, maintain such records for the main groups of such items.

(iii) The cost of issues of consumable stores, small tools and machinery spares, shall be charged to the relevant heads of account such as repairs to plant and machinery repairs to buildings. Materials consumed on capital works such as addition to buildings, plant and machinery and other assets shall be shown under the relevant capital heads.

(d) *Wastages, spoilages, rejections, losses etc. of materials.*—Proper records shall be maintained showing the quantity and cost of wastages, spoilages, rejections and losses of raw materials, process materials, consumable stores, small tools and machinery spares, whether in transit, storage, manufacture or for any other reasons. The method followed for adjusting the above losses as well as the income derived from the disposal of rejected and waste materials including spoilage, if any, in determining the cost of the product under reference shall be indicated in the cost records.

II. **Salaries and Wages:**

(a) Proper records shall be maintained to show the attendance and earnings of all employees and the departments or cost centres and the work on which they are employed. The records shall also indicate separately:

(i) Overtime wages earned;

(ii) Incentive wages earned, either individually or collectively as production bonus or under any scheme based on output;

(iii) Earnings of casual labour.

(b) Idle time shall be separately recorded under classified headings indicating the reasons therefor. The method followed for accounting of idle time payments in determining the cost of the products shall be disclosed in the cost records.

(c) Any wages and salaries allocable to capital works such as additions to plant and machinery, buildings or other fixed assets shall be accounted for under the relevant capital heads.

III. **Expenses of Service Departments:**

Detailed records shall be maintained to indicate the expenses directly incurred for each service department or cost centre. These expenses shall be apportioned to other service and production departments on an equitable basis.

IV. **Utilities:**

(a) *Steam.*—Where steam is raised by the distillery, proper records showing the quantity and cost of steam raised and consumed for the production of industrial alcohol shall be maintained in such detail as may enable the company to furnish the necessary particulars in Annexure I to this Schedule. The cost of steam consumed by the distillery and other units of the company shall be calculated on a reasonable basis and applied consistantly.

Where steam is generated and supplied by any other unit of the company to the distillery, the cost of steam so supplied shall be charged on a reasonable basis and applied consistently.

(b) *Power.*—Where power is generated by the distillery, proper records showing the quantity and cost of power generated and consumed for the production of industrial alcohol shall be maintained in such detail as may enable the company to furnish the necessary particulars in Annexure II to this Schedule. Adequate records shall also be maintained to show the quantity and cost of power purchased from outside parties.

Where power is generated and supplied by any other unit of the company to the distillery, adequate records shall be maintained to assess the quantity and cost of power so supplied. The rate charged shall be on a reasonable basis and applied consistently. Necessary records shall also be maintained to show the consumption of power by the various departments or cost centres. The cost of power allocated to the respective departments shall be on a reasonable basis and applied consistently.

V. **Workshop/Repairs and Maintenance:**

Proper records showing the expenditure incurred by the workshop under different heads and on repairs and maintenance by the various departments and cost centres shall be maintained. The records shall also indicate the basis by charging the workshop expenses to different department departments, cost centres and units.

Expenditure on major repair works from which benefit is likely to accrue for more than one financial year shall be shown separately in the cost records indicating the method of accounting in determining the cost of industrial alcohol manufactured during the relevant period,

Expenditure incurred on works of a capital nature shall be capitalised. The cost of such jobs shall include the expenditure on material, labour and a share of the overheads. The jobs carried out by the workshop of any other unit of the company to the distillery and *vice versa* shall be charged on a reasonable basis, and applied consistently.

VI. Depreciation:

(a) Proper records shall be maintained showing the cost and other particulars of fixed assets in respect of which depreciation is to be provided. These records shall *inter alia* indicate the cost of each item of asset including installation charges, if any, the date of its acquisition and the rate of depreciation. In respect of those assets, the original cost of acquisition of which cannot be ascertained without an unreasonable expenditure or delay, the valuation shown in the books on the first day of the financial year beginning on or after the commecement of these rules shall be taken as the opening balance.

(b) The basis on which depreciation is calculated and allocated to the various departments and cost centres and to the products shall be clearly indicated in the records. Depreciation chargeable to the different departments and cost centres shall not be less than the amount of depreciation chargeable in accordance with the provisions of sub section (2) of section 205 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and shall relate to plant and machinery and other fixed assets utilised in such departments and cost centres. In case the amount of depreciation charged in the cost records in any financial year is higher than the amount of depreciation chargeable under the aforesaid provisions of the Companies Act, the amount so charged in excess shall be indicated clearly in the cost records. The cumulative depreciation charged in the cost records against any individual item of assets shall not, however, exceed the original cost of the respective asset.

VII. Overheadse

Proper records shall be maintained showing the various items of overhead expenses. These expenses shall be analysed, classified and grouped into works, administration and selling and distribution overheads. Where the company is engaged in the manufacture of any other products in addition to industrial alcohol, the records shall clearly indicate the basis followed for the apportionment of the common overheads including head office expenses of the company to the manufacture of industrial alcohol, other activities and capital works. The basis followed for appointment of the overheads shall be equitable. The overheads relating to the distillery together with the share of head office and other common overheads applicable thereto shall be allocated to the different categories of industrial alcohol manufactured on a reasonable basis. Details of selling and distribution expenses and the share thereof applicable to industrial alcohol manufacturing activity and as between the different categories of alcohol shall also be maintained.

Records showing the expenses incurred on export of industrial alcohol, if any, shall be separately maintained, so that the cost of export sales can be determined correctly. The expenses incurred on exports as well as any export incentives earned shall be reflected in the cost statements relating to export sales.

VIII. By Products:

Proper records shall be maintained for each item of by-products such as fuels oil recovered, showing the receipts, issues and balances both in quantity and value. The basis adopted for valuation of the by-products shall be equitable and consistent. Records indicating the actual sales realisation of by products shall be maintained.

IX. Industrial Alcohol Transferred for Captive Consumption:

Proper records shall be maintained showing the quantity and cost of industrial alcohol transferred to other department/unit of the company for self-consumption. The rate at which such transfers are effected shall be disclosed in the cost records.

X. **Packing:**

Proper records shall be maintained showing the quantity and cost of packing materials, wages and other expenses incurred, if any, in respect of different categories of industrial alcohol packed. Detailed records of the expenses incurred on export packing shall be kept separately and exhibited in the relevant cost statement for exports.

XI. **Work in Progress and Finished Goods:**

The method followed for determining the cost of work-in-progress and finished goods stock shall be indicated in the cost records so as to reveal the cost elements that have been taken into account in such computation. The method adopted shall be followed consistently.

XII. **Cost Statements:**

Statements showing the actual costs of molasses as well as production and marketing of industrial alcohol shall be maintained in proformae 'A', 'B' and 'C' of Schedule II or in a form as near thereto, as practicable. If a company is operating more than one distillery, separate cost statements shall be maintained in respect of each distillery.

Exports of industrial alcohol, if any, shall be exhibited in separate cost statements and the same excluded from the Cost Statements of industrial alcohol sold in the internal market.

XIII. **Reconciliation of cost and Financial Accounts:**

The cost records shall be reconciled preferably periodically with the financial books of accounts so as to ensure accuracy. Variations, if any, shall be clearly indicated and explained. The period for which such reconciliation is effected shall not exceed the period of the financial year of the company. The reconcilation shall be done in such a manner that the profitability of the product under reference can be correctly adjudged and reconciled with the overhall profits of the company.

A statement showing the total expenses incurred by the company and the share applicable to industrial alcohol shall be maintained in Proforma 'D' of Schedule II duly reconciled with the financial accounts.

XIV. **Adjustment of Cost Variances:**

Where the company maintains cost records on any basis other than actuals, such as standard costing, the records shall clearly indicate the procedure followed by the company in working out the cost of the product under such procedure and the method followed for adjusting the cost variances in determining the actual cost of the product. The cost variation shall be shown against item 10 of Proforma 'B' of Schedule II. The reasons for the variances shall be detailed in the cost records.

XV. **Records of Physical Verification:**

Records of physical verification shall be maintained in respect of all items held in stock such as molasses, process materials, packing materials, consumable stores, machinery spares, fuels, finished goods and fixed assets. Reasons for shortages/surpluses arising out of such verification and the method followed for adjusting the same in the cost of the product shall be indicated in the records.

XVI. **Inter-Company Transactions:**

In respect of supplies made or services rendered by the company to its holding company or a subsidiary or a company in the same group or a company in which a Director of the company is also a Director in such companies and *vice-versa*, records shall be maintained showing contracts entered into, agreements or understandings reached, in respect of:

(a) purchase and sale of raw materials and process materials;

(b) utilisation of plant facilities;

(c) supply of utilities; and

(d) administrative, technical, managerial and any other consultancy services.

These records shall indicate the basis followed in arriving at the rates charged between them so as to enable determination of the reasonableness of the rates charged/paid for such services.

XVII. **Statistical Records:**

Data such as plant utilisation, the period run for different categories of industrial alcohol, the quantity of each category and grade of industrial alcohol produced, plant stoppages under classified headings indicating the reasons, quantity of by-products obtained, various operating efficiencies and recovery efficiencies shall be kept.

Records as will enable the company to identify, the capital employed separately for the industrial alcohol manufacturing activity shall also be maintained. Fresh investments on fixed assets that have not contributed to the production during the relevant period shall also be indicated in the records.

Statistical and other records maintained in compliance with the provisions of this Schedule and Schedule II shall be such as to enable the company to exercise, as far as possible, control over the various operations with a view to achieve optimum economies in costs and to provide the necessary data required by the cost auditor to suitably report on all the points referred to in the Cost Audit (Report) Rules, 1968.

The data maintained in the cost records shall be reconsiled with the periodical returns submitted by the company to the excise and other authorities.

ANNEXURE I

[*See* Paragraph IV (a)]

Name of the Company ——————————————————

Name and address of the distillery ——————————————————

Statement showing the cost of steam raised and Consumed during the year——————

Sl. No.	Particulars	Quantity (Units)	Rate Rs.	Amount Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Water			
2	*Fuels*			
	(a) Coal			
	(b) Furnace Oil			
	(c) Fire-wood			
	(d) Other fuels (to be specified)			
3	Consumable stores			
4	Salaries and Wages			
5	Repairs and Maintenance			
6	Other direct expenses (such as Boiler inspection fees etc.)			
7	Depreciation			
	TOTAL			
8	*Less* Credits, if any			
	TOTAL			
9	*Less* :(a) Cost of live steam used by Power House for generating electricity (Annexure II item 1)			
	(b) Other units of the company			
10	Quantity and Cost of live steam			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Total at item 10 *allocated to:*			
	(a) Distillery			
	(b) Other products of the company (to be specified)			
	TOTAL			

NOTES :—(1) Realisation, if any, by sale of steam to outside parties and waste products such as Boiler ash shall be shown separately against item 8.

(2) Where meters are not installed, consumption of steam shall be assessed on a reasonable basis and applied consistently.

(3) Bonus to employees other than incentive bonus, provision for statutory gratuity and interest charges shall be shown in proforma 'C' only and not in any other proforma.

ANNEXURE II

[*See* Paragraph IV (b)]

Name of the Company ——————————

Name and address of the distillery ——————————

Statement showing the cost of power generated/purchased and consumed during the year ——————————

No. of units generated : KWH ——————————

No. of units purchased : KWH ——————————

Consumption in Power House including other losses : KWH ——————————

Net units consumed : KWH ——————————

Sl. No.	Particulars	Quantity (Units)	Rate per units Rs.	Amount Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Steam [item 9 (a) of Annexure I]			
2	Consumable stores			
3	Salaries and wages			
4	Repairs and Maintenance			
5	Other direct expenses			
6	Duty on Electricity			
7	Depreciation TOTAL			
8	Less credits for other units of the Co.			
9	Net cost of power generated			
10	Cost of power purchased			
11	Total net cost of power			
12	Cost per unit			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total at item 11 *allocated to* :				
1	Distillery			
2	Other departments of the distillery			
3	Other products of the company (to be specified)			
	TOTAL CONSUMPTION			

NOTES :— (1) Realisation, if any, by sale of power to outside parties etc. shall be shown separately against item 8.

(2) Cost per unit shall be worked out with reference to the net units of power available for use after deducting consumption in the power house and other losses.

(3) Where meters are not installed, consumption of power shall be assessed on a reasonable basis and applied consistently.

(4) Bonus to employees other than incentive bonus, provision for statutory gratuity and interest charges shall be shown in Proforma 'C' only and not in any other Proforma.

SCHEDULE II

(*See* rule 3)

PROFORMA 'A'

Name of the Company———

Name and address of the distillery ———

Statement showing the cost of Molasses procured and consumed for the manufacture of Industrial Alcohol during the year———

Sl. No.	Particulars	Quantity	Rate Rs.	Cost Rs.	Cost per tonne	
					Current Year Rs.	Previous Year Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Opening Stock					
2	(a) Quantity transferred from own sugar factory, if any.					
	(b) Purchases (to be given grade wise)					
3	Transport and handling charges					
4	Excise duties, if any					
5	Other expenses including taxes, fees (to be specified)					
	TOTAL					
6	Less : (i) Transit Losses (ii) Storage losses (iii) Other losses, if any, (to be specified)					
	TOTAL					
7	*Less* : Closing Stock					
8	Consumption (transferred to proforma 'B')					

NOTE : Abnormal losses of Molasses, if any, shall be indicated both in quantity and cost in a separate statement.

PROFORMA 'B'

Name of the Company———————————————————————

Name and address of the distillery———————————————————————

Statement showing the cost of Industrial Alcohol manufactured during the year———————

		Current year	*Previous year*
1	Licensed capacity		
2	Installed capacity		
3	(a) Actual quantity of alcohol produced (Kilo litres)——(Alcohol content %)		
	(b) Converted in terms of 100% Alcohol (Kilo litres)		
4	Total sugar % in Molasses		
5	Total fermentable sugars % in Molasses		
6	Possible recovery of Alcohol %		
7	Actual recovery of Alcohol %		
8	Fermentation efficiency %		
9	Distillation efficiency %		
10	Overallefficiency %		

Sl. No.	Particulars	Qty.	Rate	Total Cost	Cost per Kilo litre	
					Current Year	Previsious Year
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	*Raw Materials* Molasses (Proforma 'A')					
2	*Process materials*					
	(i) Sulphuric Acid					
	(ii) Caustic Soda					
	(iii) Ammonium Sulphate					
	(iv) Urea					
	(v) Yeast					
	(vi) Others					
3	Consumable Stores					
4	(a) Direct salaries and wages					
	(b) Salaries of excise staff, if any.					
5	*Utilities*					
	(a) Stream (Annexure I)					
	(b) Power (Annexure II)					
6	Other works Overheads					
7	Repairs and Maintenance					
8	Depreciation					
9	Administration overheads					
10	*Adjustment for cost variances, *if any (where standard costing is adopted)*					
	(a) Materials					
	(b) Labour					
	(c) Overheads					
	TOTAL					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Less Credits for recoveries (net) (to be specified)					
12	Adjustment for difference between opening and closing balance of work-in-progress					
13	Net Total					

NOTES :— (1) Similar cost statements shall be maintained separately in respect of each ategory/grade of industrial alcohol produced, taking into account the extra costs incurred for further qrocessing.

(2) The basis or which the realisable value for by-products is determined shall be clearly indicated.

(3) The apportionment of head office expenses and other common overheads to the product under reference in the case of multi-product companies shall be equitable.

(4) Bonus to employees other than in centive bonus, provision for statutory gratuity and interest charges shall be shown in Proforma 'C' only and not in any other proforma.

*(5) Applicable only to companies maintaining records on standard costing system.

(6) Repairs and maintenance should include stores used therein.

PROFORMA 'C'

Name of the Company———

Name and address of the distillery———

Statement showing the cost of Industrial Alcohol sold during the year———

		Current year	*Previous year*
1	Quantity produced		
2	Quantity used for captive consumption, if any.		
3	Quantity sold		

Sl. No.	Particulars	Qty.	Rate K.L.	Total Cost	Cost per Kilo litre	
					Current Year	Previous Year
			Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Cost of Industrial Alcohol (Proforma 'B')					
2	Stock adjustments :					
	Add : Opening Stock -					
	Less : Closing Stock :					
	TOTAL					
3	Less : Self Consumption					
	TOTAL					
4	Packing cost, if any. (Major items to be specified)					
5	Selling and distribution expenses					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Total cost including selling and distribution expenses					
7	Interest charges					
8	Annual bonus to employees (other than incentive bonus)					
9	Provision for statutory Gratuity					
10	Any other exporses not included in Cost (to be specified)					
	TOTAL					
11	Less other in comes not considered in cost (items to be specified)					
12	Total expenses excluding excise duty for quantity sold in the internal market.					
13	Total sales realisation excluding excise duty for quantity sold in the internal market					
14	Margin					

NOTES :— (1) Similar cost statements shall be miantained separately in respect of each category/grade of Industrial Alcohol.

(2) The apportionmert of common selling & distribution expenses in case of multi-product units shall be equitable.

(3) Bonus to employees (Other than incentive borus), provision for statutory gratuity and irterest charges shall be shown separately ir this proforma only and not in any other proforma.

(4) If a ly in d istrial alcohol is exported to other countries, separate cost statements shall be maintained in respect or each category and grade. Expenses incurred on exporting and incentives earned thereon shall be shown in the relevant cost statements.

PROFORMA 'D'

Name of the Compar y ———————————————

Name and address of the distillery———————————————

Statement showing the allocation of total expenses of the Company between industrial alcohol manufacturing activity and other activities for the year ———————

Sl. No.	Particulars	Total Expenses	Share applicable to	
			Industrial Alcohol activity Rs.	Other activities Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Raw Materials consumed			
2.	Process Materials consumed			
3.	Consumable stores			
4.	Direct salaries and wages			
5.	Utilities			
6.	Repairs and Maintenance			
7.	Other works overheads			
8.	Depreciation			
9.	Administration Overheads			
	TOTAL			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	Adjustment for difference between opening and closing balance of work-in-progress . .			
	TOTAL			
11.	Less : *Credits for recoveries* :			
	(i) By-products			
	(ii) Others			
12.	Less : Captive Consumption			
	TOTAL			
13.	Stock adjustment for difference between opening and closing stock of finished goods. . .			
14.	Packing Cost including packing materials . .			
15.	Selling and Distribution expenses . . .			
	TOTAL			
16.	Interest charges			
17.	Annual bonus to employees other than incentive bonus			
18.	Provision for statutory gratuity. . . .			
19.	Other expenses not included in cost (items to be specified)			
	TOTAL			
20.	Less : Other income not considered in cost (items to be specified)			
21.	Total excluding excise duty			
22.	Deduct export benefits, if any . . .			
	NET TOTAL . . .			
23.	Net sales realisation excluding excise duty .			
24.	Margin			

All items of income and expenditure in this Proforma shall be reconciled with the financial accounts for the relevant period.

[No. 52/ 39/73-CAB.]

[P. B. MENON, Joint Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1975

औद्योगिक ऐल्कोहल विनिर्मित करने वाली कम्पनियों के प्रवर्ग के लिये लागत लेखा अभिलेख नियमों का प्ररूप

लागत लेखा अभिलेख (औद्योगिक ऐल्कोहल) नियम, 1975

सा० का० नि० 594(अ).—केन्द्रीय सरकार कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत लेखा अभिलेख (औद्योगिक ऐल्कोहल) नियम, 1975 है ।

(2) ये 1 अक्तूबर, 1975 को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये उन सब कम्पनियों को लागू होंगे जो औद्योगिक ऐल्कोहल के, जिसमें निम्नलिखित प्रकारों का कोई एक या अधिक ग्रेड सम्मिलित हैं, उत्पादन, प्रसंस्करण या विनिर्माण में लगी हैं अर्थात् :—

(i) परिशुद्ध ऐल्कोहल,

(ii) परिशोधित स्पिरिट,

(iii) विकृतीकृत और विशेष विकृतीकृत स्पिरिट,

(iv) पावर ऐल्कोहल ।

3. **अभिलेखों का रखा जाना.**—(1) हर कम्पनी जिसे ये नियम लागू होते हैं, इन नियमों के प्रारम्भ पर या उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाले अपने प्रत्येक वित्तीय वर्ष की बाबत, उचित लेखा बहियां रखेगी जिनमें अन्य बातों के साथ, सामग्री श्रम और लागत की अन्य मदों के उपयोग से सम्बन्धित इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची i और ii में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां, जहां तक वे औद्योगिक ऐल्कोहल से सम्बन्धित हों, होंगी ।

परन्तु यदि उक्त कम्पनी किन्हीं अन्य उत्पादों का विनिर्माण कर रही हो या औद्योगिक ऐल्कोहल के अतिरिक्त अन्य क्रियाकलापों में लगी हो तो सामग्री श्रम और लागत की अन्य मदों के उपयोग से सम्बन्धित विशिष्टियां, जहां तक वे ऐसे अन्य उत्पादों या क्रियाकलापों को लागू हों, औद्योगिक ऐल्कोहल की लागत में सम्मिलित नहीं की जाएंगी ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट लेखा-बहियां ऐसी रीति में रखी जाएंगी जिससे एक वित्तीय वर्ष (जिसे इसके इसके पश्चात् सुसंगत अवधि कहा गया है) के दौरान, औद्योगिक ऐल्कोहल के प्रत्येक प्रवर्ग के उत्पादन लागत और विक्रय लागत की संगणना उसमें दी गई विशिष्टियों से की जा सके i अनुसूची ii में विनिर्दिष्ट लेखा बहियां और निदर्शन पत्र, कम्पनी के वित्तीय वर्ष के अन्त से नब्बे दिन के भीतर तैयार कर लिए जाएंगे ।

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (6) और (7) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह कम्पनी द्वारा उपनियम (1) और (2) का अनुपालन उसी रूप से सुनिश्चित करने के लिए सभी युक्तियुक्त कदम उठाये जिस रूप में वे

उक्त अधिनियम की धारा 209 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित वित्तीय लेखाओं को रखने के लिये दायी है ।

4. **शास्ति.**—यदि कोई कम्पनी नियम 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करती है, तो कम्पनी और उसका हर अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, जिसके अन्तर्गत नियम 3 के उपनियम (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति भी आते हैं, जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जहां उल्लंघन जारी रहता है, वहां अतिरिक्त जुर्माने से, जो पृथक् दिन के पश्चात् हर ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पचास रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

अनुसूची I

(नियम 3 देखें)

1. **सामग्री :**

(क) कच्ची सामग्री—शीरा.—(i) कम्पनी के चीनी के कारखाने और अन्य स्रोतों से, यदि कोई हो, उपाप्त शीरे की विभिन्न श्रेणियों की मात्रा और लागत पृथ क्-पृथक् दर्शित करते हुये उचित अभिलेख रखे जाएंगे ।

(ii) इन अभिलेखों में ऐसे विवरण होंगे जिससे कम्पनी, प्राप्तियों (जिसके अन्तर्गत संकर्मों पर्यन्त उपगत सभी प्रत्यक्ष प्रभार सम्मिलित हैं), निर्गमों और अतिशेषों की मात्रा और लागत अवधारित कर सके । वह आधार, जिस पर उक्त मात्राएं और लागत संगणित की गई हो, लागत अभिलेखों में स्पष्टतया उपदर्शित किया जाएगा ।

(ख) प्रसंस्करण—सामग्री.—प्रसंस्करण सामग्री की प्रत्येक मद जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल, कास्टिक सोडा, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, खमीर, निर्जली कारक, विकृतिकारक की प्राप्तियों, निर्गमों और अतिशेषों की मात्रा और लागत दोनों को दर्शित करने वाले उचित अभिलेख रखे जाएंगे । लागत में, संकर्मों पर्यन्त सभी प्रत्यक्ष प्रभार, जहां कहीं भी विनिर्दिष्टतियां उपगत किए गए हों, सम्मिलित होंगे । निर्गमों की समुचित पहचान के लिए विभागों और विनिर्मित उत्पादों के नाम दिए जाएंगे ।

(ग) उपभोज्य सामान, छोटे औजार, मशीनरी के फालतू पुर्जे आदि.—(i) उपभोज्य सामान, छोटे औजार और मशीनरी के फालतू पुर्जों की प्रत्येक मद की प्राप्तियों, निर्गमों और अतिशेषों की मात्रा और लागत दोनों को दर्शित करने वाले उचित अभिलेख रखे जाएंगे । दर्शित खर्चों में संकर्मों पर्यन्त सभी प्रत्यक्ष प्रभार, जहां कहीं भी वे विनिर्दिष्टतियां उपगत किए गए हों, सम्मिलित होंगे ।

(ii) ऐसे उपभोज्य सामान और छोटे औजारों की दशा में, जिनकी लागत नगण्य हो, कम्पनी, यदि वह ऐसा चाहे, ऐसी मदों के मुख्य समूहों के लिए ऐसे अभिलेख रख सकेगी ।

(iii) उपभोज्य सामान, छोटे औजारों और मशीनरी के फालतू पुर्जों के निर्गमों की लागत सुसंगत लेखा-शीर्षों, जैसे कि संयंत्र और मशीनरी की मरम्मत, भवनों की मरम्मत, के प्रति प्रभारित की जाएगी । मुख्य संकर्मों, जैसे कि भवनों, संयंत्र और मशीनरी और अन्य आस्तियों की वृद्धि में लगाई गई सामग्री सुसंगत मुख्य शीर्षों के अधीन दर्शित की जाएगी ।

(घ) **सामग्री की छीजन, विकृति, अस्वीकरण और क्षति**.—कच्ची सामग्री, प्रसंस्करण सामग्री, उपभोज्य साधनों, छोटे औजारों और मशीनरी के फालतू पुर्जों के, चाहे अभिवहन के दौरान, भण्डारकरण के दौरान, विनिर्माण के दौरान या किन्हीं अन्य कारणों से हुए छीजन, विकृति, अस्वीकरण या क्षति की मात्रा और लागत दर्शित करते हुए उचित अभिलेख रखे जाएंगे । निर्देशाधीन उत्पाद की लागत अवधारित करने में उपरोक्त क्षति तथा अस्वीकृत और छीजी सामग्री, जिसमें विकृत सामग्री, यदि कोई हो सम्मिलित है, के व्ययन से व्युत्पन्न आय का समायोजन करने के लिये अपनाई गई रीति, लागत अभिलेखों में उपदर्शित की जाएगी ।

2. वेतन और मजदूरी :

(क) सभी कर्मचारियों की उपस्थिति और उपार्जन और उन विभागों या लागत केन्द्रों और उस काम को जिनमें वे नियोजित किये गये हैं दर्शित करने वाले उचित अभिलेख रखे जाएंगे । अभिलेखों में निम्नलिखित भी पृथकतः उपदर्शित किए जाएंगे :—

(i) उपार्जित अतिकाल मजदूरी;

(ii) प्रोत्साहन मजदूरी जो उत्पादन बोनस के रूप में या उत्पादन पर आधारित किसी अन्य स्कीम के रूप में वैयक्तिक या सामूहिक रूप में उपार्जित की गई हो ;

(iii) नैमित्तिक श्रमिक के उपार्जन ।

(ख) निष्कार्य समय को वर्गीकृत शीर्षकों के अधीन उसके लिए कारण उपदर्शित करते हुए पृथकृतः अभिलिखित किया जाएगा । उत्पादों की लागत अवधारित करने में, निष्कार्य समय के लिए किए गए संदायों की गणना करने में अपनायी गई पद्धति लागत अभिलेखों में स्पष्ट की जाएगी ।

(ग) पूंजी संकर्म जैसे कि संयंत्र और मशीनरी, भवनों या अन्य नियत आस्तिय में वृद्धि के लिए आवंटनीय मजदूरी और वेतन का लेखा सुसंगत मुख्य शीर्षों के अधीन दिया जाएगा ।

3. सेवा विभागों के खर्चे :

प्रत्येक सेवा विभाग या लागत केन्द्र के लिए प्रत्यक्षतः उपगत खर्चों को उपदर्शित करने वाले विस्तृत अभिलेख रखे जाएंगे । ये खर्चे अन्य सेवा और उत्पादन विभागों में साम्यपूर्ण आधार पर प्रभाजित कर दिए जाएंगे ।

4. उपयोगी वस्तुएं :

(क) **वाष्प** :—जहां आसवनी द्वारा वाष्प बनायी जाती हो, वहां औद्योगिक ऐल्कोहल के उत्पादन के लिए बनायी गयी मात्रा और उपभोग में लायी गयी वाष्प की मात्रा और लागत दर्शित करने वाले समुचित अभिलेख ऐसे विस्तार से रखे जाएंगे जिससे कम्पनी इस अनुसूची के उपबन्ध में आवश्यक विशिष्टियां दे सके । आसवनी और कम्पनी के अन्य एककों द्वारा उपभोग में लायी गयी वाष्प की लागत युक्तियुक्त आधार पर संगणित की जाएगी और निरन्तर उसी को अपनाया जाएगा ।

जहां वाष्प आसवनी के लिए कम्पनी के किसी अन्य एकक द्वारा उत्पादित और दत्त की जाती है वहां इस प्रकार प्रदत्त वाष्प की लागत युक्तियुक्त आधार पर प्रभारित की जाएगी और निरन्तर उसी को लागू किया जाएगा ।

(ख) विद्युत : जहां विद्युत् आसवनी द्वारा उत्पादित की जाती है वहां औद्योगिक ऐल्कोहाल के उत्पादन के लिए उत्पादित और उपभोग में लायी गई विद्युत् की मात्रा और लागत दर्शित करते हुए समुचित अभिलेख ऐसे विस्तार में रखे जाएंगे जिससे कम्पनी इस अनुसूची के उपाबन्ध 11 में आवश्यक विशिष्टियां देने में समर्थ हो सके। बाह्य पक्षकारों से क्रय की गई विद्युत् की मात्रा और खर्च दर्शित करने वाले पर्याप्त अभिलेख भी रखे जाएंगे।

जहां विद्युत् आसवनी के लिए, कम्पनी के किसी अन्य एकक द्वारा उत्पादित और प्रदत्त की जाती है, वहां इस प्रकार प्रदत्त विद्युत् की मात्रा और उसकी लागत का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त अभिलेख रखे जाएंगे। प्रभारित दर युक्तियुक्त आधार पर होगा और निरन्तर उसी को अपनाया जाएगा। विभिन्न विभागों या लागत केन्द्रों द्वारा विद्युत् के उपभोग को दर्शित करने के लिए आवश्यक अभिलेख रखे जाएंगे। विभिन्न विभागों को आबंटित विद्युत् की लागत युक्तियुक्त आधार पर होगी और निरन्तर उसी को लागू किया जाएगा।

5. कर्मशाला/मरम्मत और अनुरक्षण :

कर्मशाला द्वारा विभिन्न शीर्षों के अधीन और विभिन्न विभागों और लागत केन्द्रों द्वारा मरम्मत और अनुरक्षण पर उपगत खर्च दर्शित करते हुए उचित अभिलेख रखे जाएंगे। अभिलेखों में कर्मशाला के खर्चों को विभिन्न विभागों, लागत केन्द्रों और एककों के प्रति प्रभारित करने के आधार पर उपदर्शित किए जाएंगे। ऐसे भारी मरम्मत कर्मों पर खर्च को, जिससे एक से अधिक वित्तीय वर्ष के लिए लाभ प्रोद्भूत होने की सम्भावना हो, लागत अभिलेखों में पृथक्तः दिखाया जाएगा, जिसमें सुसंगत अवधि के दौरान विनिर्मित औद्योगिक ऐल्कोहाल की लागत अवधारित करने में उसकी संगणना की पद्धति भी उपदर्शित की जाएगी।

पूंजी की प्रकृति के संकर्मों पर उपगत व्यय को पूंजीकृत किया जाएगा। ऐसे कार्यों की लागत में सामग्री श्रम और उपरि व्ययों का कोई अंश सम्मिलित है। कम्पनी के किसी अन्य एकक की कर्मशाला द्वारा आसवनी के लिए या आसवनी द्वारा कम्पनी के किसी अन्य एकक के लिए किए गए काम युक्तियुक्त आधार पर प्रभारित किए जाएंगे और निरन्तर उसी को लागू किया जाएगा।

6. अवक्षयण :

(क) उन नियत आस्तियों की, जिनकी बाबत अवक्षयण की व्यवस्था की जानी है लागत और अन्य विशिष्टियां दर्शित करते हुए उचित अभिलेख रखे जाएंगे। इन अभिलेखों में, अन्य बातों के साथ, आस्तियों की प्रत्येक मद का लागत, जिसमें संस्थापन प्रभार, यदि कोई हो, उसके अर्जन की तारीख और अवक्षयण की दर सम्मिलित हैं, उपदर्शित होगी। उन आस्तियों की बाबत, जिनके अर्जन की मूल लागत, अयुक्तियुक्त व्यय या विलम्ब के बिना अभिनिश्चित नहीं की जा सकती है, इन नियमों के प्रवृत्त होने के दिन या उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन, बहियों में दर्शित मूल्यांकन को प्रारम्भिक अतिशेष माना जाएगा।

(ख) वह आधार, जिस पर अवक्षयण संगणित किया जाता है और विभिन्न विभागों और लागत केन्द्रों और उत्पादों को आबंटित किया जाता है, अभिलेखों में स्पष्टतया उपदर्शित किया जाएगा। विभिन्न विभागों और लागत केन्द्रों के प्रति प्रभार्य अवक्षयण, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 205 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसरण में प्रभार्य अवक्षयण की रकम से कम नहीं होगा और ऐसे विभागों और लागत केन्द्रों में उपयोग किए जाने वाले संयंत्र

और मशीनरी और अन्य नियत आस्तियों से सम्बन्धित होगा । यदि किसी वित्तीय वर्ष में, लागत अभिलेखों में प्रभारित अवक्षयण की रकम, कम्पनी अधिनियम के पूर्वोक्त उपबन्धों के अधीन प्रभार्य अवक्षयण की रकम से अधिक हो, तो इस प्रकार प्रभारित अधिक रकम, लागत अभिलेखों में स्पष्टतया उपदर्शित की जाएगी । किन्तु आस्तियों की किसी एकल मद के प्रति लागत अभिलेखों में प्रभारित संचित अवक्षयण उस आस्ति की मूल लागत से अधिक नहीं होगा ।

7. उपरिव्यय :

उपरिव्यय की विभिन्न मदों को दर्शित करने वाले उचित अभिलेख रखे जाएंगे । इन व्ययों को, संकर्म, प्रशासन और विक्रय और वितरण उपरिव्ययों में विश्लेषित वर्गीकृत और समूहीकृत किया जाएगा । जहां कम्पनी औद्योगिक ऐल्कोहाल के अतिरिक्त किन्हीं अन्य उत्पादों के विनिर्माण में लगी हो, वहां अभिलेखों में वह आधार स्पष्टतया उपदर्शित किया जाएगा जो सामान्य उपरिव्ययों के जिसमें औद्योगिक ऐल्कोहाल के विनिर्माण अन्य क्रिया कलाप और मूख्य संकर्म के लिए कम्पनी के मूख्य कार्यालय व्यय सम्मिलित हैं, प्रभाजन के लिए अपनाया गया हो । उपरि व्ययों के प्रभाजन के लिए अपनाया गया आधार साम्यापूर्ण होगा । आसवनी से सम्बन्धित उपरि व्ययों मूख्यकार्यालय के अंश, उसे लागू अन्य उपरि व्यय के साथ विनिर्मित औद्योगिक ऐल्कोहाल के विभिन्न प्रवर्गों को युक्तियुक्त आधार पर आबंटित किए जाएंगे । विक्रय और वितरण के व्यय और उसके अंश, जो औद्योगिक ऐल्कोहाल विनिर्माण क्रियाकलाप और ऐल्कोहाल के विभिन्न प्रवर्गों के बीच लागू हो, के विवरण भी रखे जाएंगे ।

औद्योगिक ऐल्कोहाल के निर्यात, यदि कोई हो, पर उपगत व्ययों को दर्शित करने वाले अभिलेख पृथक रखे जाएंगे जिससे निर्यात विक्रय की लागत सही सही अवधारित की जा सके । निर्यात पर उपगत व्ययों और उपार्जित निर्यात प्रोत्साहनों को भी, निर्यात विक्रय सम्बन्धी लागत कथनों में दर्शित किया जाएगा ।

8. उपोत्पाद :

उपोत्पाद, जैसे कि प्रतिलब्ध फ्यूजेल तेल, की प्रत्येक मद के लिए प्राप्तियों, निर्गमों और अतिशेषों की मात्रा और मूल्य दोनों को दर्शित करने वाले उचित अभिलेख रखे जाएंगे । उपोत्पादों के मूल्यांकन के लिए अपनाया गया आधार साम्यापूर्ण और संगत होगा । उपोत्पादों की वास्तविक विक्रय वसूली दर्शित करने वाले अभिलेख रखे जाएंगे ।

9. इतर उपभोग के लिए आन्तरिक औद्योगिक ऐल्कोहल :

कम्पनी के अन्य विभाग/एकक को स्व-उपभोग के लिए अन्तरित औद्योगिक ऐल्कोहाल की मात्रा और लागत दर्शित करने वाले उचित अभिलेख रखे जाएंगे । वह दर, जिस पर ऐसे अन्तरण किए जाते हैं, लागत अभिलेखों में दर्शित की जाएगी ।

10. पैकिंग

पैकिंग सामग्री की मात्रा और लागत, मजदूरी और पैक किए गए औद्योगिक ऐल्कोहाल के विभिन्न प्रवर्गों की बाबत उपगत अन्य व्ययों के, यदि कोई हो, दर्शित करने वाले उचित अभिलेख रखे जाएंगे । निर्यात–पैकिंग पर उपगत व्ययों के विस्तृत अभिलेख पृथक् रखे जाएंगे और निर्यात के सुसंगत लागत विवरण में दर्शित किए जाएंगे ।

11. **चालू कार्य और तैयार माल :**

चल रहे कार्य और तैयार माल के स्टाक की लागत के अवधारण के लिए अपनाई गई पद्धति लागत अभिलेखों में उपदर्शित की जाएगी जिससे संगणना में जिन लागत तत्वों पर विचार किया गया हो वे प्रकट हो सकें। अपनाई गई पद्धति का पालन निरन्तर किया जाएगा।

12. **लागत विवरण :**

शीरे और औद्योगिक ऐल्कोहाल के उत्पादन और विपणन की वास्तविक लागत को दर्शित करने वाले विवरण अनूसूची 11 के निदर्शन पत्र 'क', 'ख' और 'ग' में या यावत्साध्य लगभग वैसे ही प्ररूप में रखे जाएंगे। यदि कोई कम्पनी एक से अधिक आसवनी का प्रचालन कर रही हो, तो प्रत्येक आसवनी की बाबत पृथक् लागत विवरण रखे जाएंगे।

औद्योगिक ऐल्कोहाल का निर्यात, यदि कोई हो, पृथक् लागत विवरण में प्रदर्शित किया जाएगा और उसे आन्तरिक बाजार में विक्रय किए गए औद्योगिक ऐल्कोहाल के लागत कथनों में से अपवर्जित कर दिया जाएगा।

13. **लागत और वित्तीय लेखा का समाधान :**

लागत अभिलेखों का वित्तीय लेखा पुस्तकों से समाधान, अधिमान्यतः आवधिक रूप में किया जाएगा, जिससे परिशुद्धता सुनिश्चित रहे। यदि कोई प्रसरण हो तो उसे स्पष्टतया उपदर्शित और स्पष्ट किया जाएगा। जिस अवधि के लिए समाधान किया जाये वह उस कम्पनी के वित्तीय वर्ष की अवधि से अधिक की अवधि नहीं होगी। समाधान इस रीति से किया जाएगा कि निर्देशाधीन उत्पाद की लाभकारिता अभिनिर्णीत की जा सके और कम्पनी के समग्र लाभ से उसका समाधान किया जा सके।

कम्पनी द्वारा उपगत कुल व्यय और औद्योगिक ऐल्कोहाल को लागू होने वाले अंश को दर्शित करने वाला विवरण वित्तीय लेखाओं से सम्यक्तः समाधानप्रद रूप में अनुसूची 11 के निदर्शन-पत्र 'घ' में रखा जाएगा।

14. **लागत प्रसरण का समायोजन :**

जहां कम्पनी लागत अभिलेखों को वास्तविकता से भिन्न किसी अन्य आधार पर रखती है जैसे कि मानक लागत, वहां अभिलेखों में वह प्रक्रिया जो प्रक्रिया उत्पाद की लागत निकालने के लिए कम्पनी द्वारा अपनायी गई हो तथा उत्पाद की वास्तविक लागत अवधारित करने में लागत प्रसरण के समायोजन के लिए अपनायी गई रीति स्पष्टतया उपदर्शित होगी। लागत प्रसरण, अनूसूची 11 के निदर्शनपत्र 'ख' की मद 10 के सामने दर्शित किया जाएगा। प्रसरण के कारण लागत अभिलेखों में वर्णित किए जाएंगे।

15. **वास्तविक सत्यापन के अभिलेख :**

स्टाक में रखी गई सभी वस्तुओं, जैसे कि शीरे, प्रसंस्करण सामग्री, पैकिंग सामग्री, उपभोज्य सामान, मशीन के फ़ालतू पुर्जे, ईंधन, तैयार माल और नियत आस्तियों, की बाबत वास्तविक सत्यापन अभिलेख रखे जाएंगे। ऐसे सत्यापनों से उद्भूत कमियों/अधिशेषों के कारण और उत्पाद की लागत में उनके समायोजन के लिए अपनायी गयी पद्धति अभिलेखों में उपदर्शित की जाएगी।

16. **अन्तः कम्पनी व्यवहार :**

कम्पनी द्वारा अपनी नियंत्री कम्पनी या समनूषंगी कम्पनी या उसी समूह की किसी कम्पनी या ऐसी कम्पनी जिसमें कम्पनी का निदेशक ऐसी कम्पनियों का भी निदेशक है, को किए गए प्रदाय या की गई सेवाओं और कम्पनी की नियंत्री कम्पनी या समनूषंगी कम्पनी या उसी समूह की किसी कम्पनी या ऐसी कम्पनी जिसमें उन कम्पनियों का निदेशक ऐसी कम्पनियों का भी निदेशक है और द्वारा उस कम्पनी को किए गए प्रदाय या की गई सेवाओं की बाबत अभिलेख रखे जाएंगे जिनमें निम्नलिखित की बाबत की गई संविदाएं, करार या समझौते दर्शित किए जाएंगे ।

(क) कच्ची सामग्री और प्रसंस्करण सामग्री का क्रय और विक्रय;

(ख) संयंत्र सुविधाओं का उपयोग;

(ग) उपयोगी वस्तुओं का प्रदाय; और

(घ) प्रशासनिक, तकनीकी, प्रबन्धकारी और अन्य कोई परामर्शी सेवा ।

इन अभिलेखों में उनके बीच प्रभारित दरों को तय करने में अपनाया गया आधार उपदर्शित होगा जिससे, ऐसी सेवाओं के लिए प्रभारित/संदत्त दरों की युक्तियुक्तता को अवधारित किया जा सके ।

17. **सांख्यिकीय अभिलेख :**

संयंत्र उपयोगिता, औद्योगिक ऐल्कोहाल के विभिन्न प्रवर्गों के लिए कार्यविधि, उत्पादित औद्योगिक ऐल्कोहाल के प्रत्येक प्रवर्ग और श्रेणी की मात्रा, वर्गीकृत शीर्षों के अधीन संयंत्र ठहराव, जिससे उसके कारण उपदर्शित हो अभिप्राप्त उपोत्पादों की मात्रा, विभिन्न प्रचालन दक्षता और वसूली दक्षता जैसे, आंकड़े रखे जाएंगे ।

ऐसे अभिलेख भी, जिससे कम्पनी औद्योगिक ऐल्कोहाल विनिर्माण क्रियाकलाप में अलग से लगाई गई पूंजी को जानने में समर्थ हो सके, रखे जाएंगे । नियत आस्तियों पर ऐसे नए विनिधान भी, जिनसे सुसंगत अवधि के दौरान उत्पादन में योगदान न मिला हो, अभिलेखों में उपदर्शित किए जाएंगे ।

इस अनुसूची और अनुसूची 11 के उपबन्धों का अनुपालन करते हुए रखे गए सांख्यिकीय और अन्य अभिलेख ऐसे होंगे जिससे कम्पनी, लागत में अधिकतम मितव्ययिता लाने की दृष्टि से विभिन्न प्रचालनों पर यावत्साध्य नियंत्रण रख सके और लागत संपरीक्षा (रिपोर्ट) नियम, 1968 में निर्दिष्ट सभी बातों पर यथोचित रिपोर्ट देने के लिए लागत संपरीक्षक द्वारा अपेक्षित आवश्यक आंकड़े दे सके ।

लागत अभिलेखों में रखे गए आंकड़ों का, कम्पनी द्वारा उत्पाद-शुल्क और अन्य प्राधिकारियों को दी गई आवधिक विवरणियों से मेल होना चाहिए ।

उपाबन्ध I

[पैरा IV (क) देखें]

कम्पनी का नाम———————————————————

आसवानी का नाम और पता———————————————————

———————————————————

———————————वर्ष के दौरान बनाई गई और

उपभुक्त बाष्प की लागत को दर्शित करने वाला विवरण

क्रम संख्या	विशिष्टियां	मात्रा (इकाई)	दर रुपये	रकम रुपये
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	जल			
2	इंधन			
	(क) कोयला			
	(ख) भट्टी तैल			
	(ग) काष्ठ-ईंधन			
	(घ) अन्य ईंधन			
	(विनिर्दिष्ट किए जाएं)			
3	उपभोज्य सामान			
4	वेतन और मजदूरी			
5	मरम्मत और रखरखाव			
6	अन्य प्रत्यक्ष व्यय (जैसे कि बायलर निरीक्षण फीस आदि)			
7	अवक्षयण			————
	योग			————
8	घटाएं : उधार, यदि कोई हो			————
	योग			
9	घटाएं : (क) विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत-गृह द्वारा उपयोग किए गए सशक्त बाष्प की लागत (उपाबन्ध II मद I)			————
	(ख) कम्पनी के अन्य एकक			————

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	सशक्त बाष्प की मात्रा और लागत			

मद 10 पर का योग निम्नलिखित को आवंटित है :

(क) आसबनी

(ख) कम्पनी के अन्य उत्पाद
(विनिर्दिष्ट किए जाएंगे)

योग

टिप्पण :— (1) बाहरी पक्षों को बाष्प के विक्रय और अवशिष्ट उत्पादों, जैसे कि बायलर की राख के विक्रय से हुई वसूली, यदि कोई हो, को मद 8 के सामने पृथक दर्शित किया जाएगा ।

(2) जहां मीटर नहीं लगे हो, वहां बाष्प का उपभोग युक्तियुक्त आधार पर निर्धारित किया जाएगा और निरन्तर उसे ही अपनाया जाएगा ।

(3) कर्मचारियों को प्रोत्साहन बोनस से भिन्न बोनस, कानूनी उपदान की व्यवस्था और ब्याज–प्रभार केवल निदर्शन पत्र 'ग' दर्शित किए जाएंगे और किसी अन्य निर्देशन-पत्र में दर्शित नहीं किए जाएंगे ।

उपाबन्ध II

[पैरा IV (ख) देखें]

कम्पनी का नाम———

आसबनी का नाम और पता———

———वर्ष के दौरान उत्पादित/क्रय की गई और उपभुक्त विद्युत की लागत को दर्शित करने वाला विवरण

उत्पादित यूनिटों की संख्या : कि० वा० एच०———

क्रय किए गए यूनिटों की संख्या : कि० वा० एच०———

विद्युत गृह में उपभोग, जिस में अन्य नुकसान सम्मिलित है : कि० वा० एच०———

उपभुक्त शुद्ध यूनिट : कि० वा० एच०———

क्रम संख्या	विशिष्टियां	मात्रा (यूनिट)	प्रति यूनिट दर रुपये	रकम रुपये
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बाष्प [उपाबन्ध I की मद 9(क)]			
2	उपभोज्य सामान			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	वेतन और मजदूरी			
4	मरम्मत और रखरखाव			
5	अन्य प्रत्यक्ष व्यय			
6	विद्युत पर शुल्क			
7	अवक्षयण			
	योग			
8	**घटाएं** : कम्पनियों के अन्य एककों को जमा खातें की गई रकम			
9	उत्पादित विद्युत की शुद्ध लागत			
10	क्रय की गई विद्युत की लागत			
11	विद्युत की कुल शुद्ध लागत			
12	प्रति यूनिट लागत			

मद II पर योग निम्नलिखित को आवंटित हैं :

1 आसवनी

2 आसवनी के अन्य विभाग

3 कम्पनी के अन्य उत्पाद

(विनिर्दिष्ट किए जाएंगे)——————————

कुल उपभोग——————————

टिप्पण :— (1) बाहरी पक्षों आदि को विद्युत विक्रय से हुई वसूली, यदि कोई हो, को मद 8 के सामने पृथक् दर्शित किया जाएगा ।

(2) विद्युत गृह में उपर्युक्त और अन्य हानियों को काटने के पश्चात् उपयोग के लिए उपलब्ध विद्युत की शुद्ध यूनिटों के प्रतिनिर्देश से निकाली गई प्रति यूनिट लागत ।

(3) जहां मीटर नहीं लगे हों, वहां विद्युत का उपभोग युक्तियुक्त आधार पर निर्धारित किया जाएगा और निरन्तर वहीं अपनाया जाएगा ।

(4) कर्मचारियों को प्रोत्साहन बोनस से भिन्न बोनस, कानूनी उपदान की व्यावस्था और ब्याज—प्रभार केवल निदर्शन-पत्र 'ग' के दर्शित किए जाएंगे और किसी अन्य निदर्शन-पत्र में दर्शित नहीं किए जाएंगे ।

अनुसूची II

(नियम 3 देखें)

निदर्शन–पत्र 'क'

कम्पनी का नाम———————————————————————

आसवनी का नाम और पता———————————————————

———————————————————

———————————वर्ष के दौरान, औद्योगिक ऐल्कोहाल के विनिर्माण के लिए उपाय और उपभुक्त शीरे की लागत को दर्शित करने वाला विवरण ।

क्रम संख्या	विशिष्टियां	मात्रा	दर रुपये	लागत रुपये	प्रति टन लागत	
					चालू वर्ष रुपये	पूर्ववर्ती वर्ष रुपये
1	आरम्भिक स्वक					
2	(क) अपने चीनी कारखाने से स्थानान्तरित मात्रा, यदि कोई हो,					
	(ख) क्रय					
	(श्रेणी के अनुसार दिया जाएगा)					
3	परिवहन और हस्तन प्रभार					
4	उत्पाद-शुल्क, यदि कोई हो					
5	अन्य व्यय जिसमें कर, फीस सम्मिलित है (विनिर्दिष्ट किए जाएंगे)					
	योग			———		
6	**घटाएं** :—					
	(i) अभिवहन में हानि					
	(ii) भण्डारकरण हानि					
	(iii) अन्य हानि, यदि कोई हो (विनिर्दिष्ट की जाएंगी)					
	योग			———		
7	घटाएं :—शेष स्टाक			———		
8	उपभोग (निदर्शन–पत्र 'ख' के स्थानान्तरित)			———		

टिप्पण :—शीरे की असामान्य हानि की, यदि कोई हो, मात्रा और लागत दोनों को एक पृथक् विवरण में उपदर्शित किया जाएगा ।

निदर्शन-पत्र 'ख'

कम्पनी का नाम———————————————————————

आसवती का नाम और पता———————————————————

———————————————————————————————

————————वर्ष के दौरान विनिर्मित औद्योगिक ऐल्कोहौल की लागत दर्शित करने वाला विवरण

		चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1	अनुज्ञप्त क्षमता		
2	संस्थापित क्षमता		
3	(क) उत्पादित ऐल्कोहौल की वास्तविक मात्रा (किलो लिटर)		
4	शीरे में कुल शर्करा का प्रतिशत		
5	शीरे में कुल किण्वनयोग्य शर्करा का प्रतिशत		
6	ऐल्कोहौल प्राप्ति का सम्भाव्य प्रतिशत		
7	ऐल्कोहौल की वास्तविक प्राप्ति का प्रतिशत		
8	किण्वन क्षमता का प्रतिशत		
9	आसवन क्षमता का प्रतिशत		
10	सम्पूर्ण क्षमता का प्रतिशत		

क्रम संख्या	विशिष्टियां	मात्रा	दर रुपये	सकल रुपये	प्रतिकिलो लिटर लागत	
					चालूवर्ष रुपये	पूर्वतन वर्ष रुपये
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कच्ची सामग्री					
	शीरा (निदर्शन पत्र क)					
2	प्रसंस्करण सामग्री					
	(i) सल्फ्यूरिक अम्ल					
	(ii) कास्टिक सोडा					
	(iii) अमोनियम सल्फ़ेट					
	(iX) यूरिया					
	(v) खमीर					
	(vi) अन्य					
3	उपभोज्य सामान					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	(क) प्रत्यक्ष वेतन और मजदूरी					
	(ख) उत्पाद-शूल्क कर्मचारिवृन्द यदि कोई हो, के वेतन					
5	उपयोगी वस्तुएं					
	(क) वाष्प (उपाबन्ध I)					
	(ख) विद्युत (उपाबन्ध–II)					
6	अन्य संकर्म उपरिव्यय					
7	मरम्मत और रखरखाव					
8	अवक्षयण					
9	प्रशासन उपरिव्यय					
10	लागत प्रस्तरण, यदि कोई हो, के लिए (जहां मानक लागत अपनाई गई हो)					
	(क) सामग्री					
	(ख) श्रम					
	(ग) उपरिव्यय					
	योग					
11	घटाएं : वसूलियों (शुद्ध के जमा खाते विनिर्दिष्ट की जाएंगी)					
12	चालू कार्य के प्रारम्भिक और इति शेष के अन्तर का समायोजना					
13	शुद्ध योग					

टिप्पण :—(1) उत्पादित औद्योगिक ऐल्कोहल के प्रत्येक प्रवर्ग या श्रेणी की बाबत, आगे प्रसंस्करण के लिए उपगत अतिरिक्त लागत को ध्यान में रखते हुए, समरूप लागत विवरण पृथक रखे जाएंगे ?

(2) वह आधार जिस पर उपोत्पादों का वसूलीये मूल्य निर्धारित किया जाता है, स्पष्टतया उपदर्शित होगा ।

(3) बहुउत्पाद कम्पनियों की दशा में निर्देशाधीन उत्पाद के प्रति मुख्य कार्यालय व्ययों और अन्य सामान्य उपरिव्ययों का प्रभाजन साम्यापूर्ण होगा ।

(4) कर्मचारियों को प्रोत्साहन बोनस से भिन्न, बोनस, कानूनी उपदान की व्यवस्था और ब्याज–प्रभार केवल निदर्शन-पत्र 'ग' में दर्शित किए जाएंगे किसी अन्य निर्देशन पत्र में नहीं ।

(5) केवल ऐसी कम्पनियों को लागू होगा जो मानक लागत पद्धति से अभिलेख रखती है ।

(6) मरम्मत और रखरखाव में, उसमें उपभोग किया गया सामान भी सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

निदर्शन–पत्र 'ग'

कम्पनी का नाम———————————————————————

आसवनी का नाम और पता———————————————————

———————————————————————————

————————————वर्ष के दौरान विक्रय किए गए औद्योगिक ऐल्कोहौल को दर्शित करने वाला विवरण

1 उत्पादित मात्रा

2 इतर उपभोग के लिए प्रयुक्त मात्रा, यदि कोई हो

3 विक्रय की गई मात्रा

क्रम संख्या	विशिष्टियां	मात्रा	किलोलिटर दर रुपये	सकल लागत रुपये	प्रति किलोलिटर लागत चालू वर्ष रुपये	प्रति किलोलिटर लागत पूर्वतन वर्ष रुपये
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	औद्योगिक ऐल्कोहोल की लागत (निदर्शन––पत्र 'ख')					
2	स्टाक समायोजन :					
	जोड़ें : आरम्भिक स्टाक :					
	घटाएं : शेष स्टाक :					
	योग			———		
3	घटाएं : ख–उपभोग					
	योग			———		
4	पैकिंग लागत, यदि कोई हो (बड़ी मदें विनिर्दिष्ट की जाएंगी)					
5	विक्रय और वितरण व्यय			———		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	कुल लागत जिसमें विक्रय और वितरण व्यय सम्मिलित है ।					
7	ब्याज प्रभार					
8	कर्मचारियो को वार्षिक बोनस (प्रोत्साहन बोनस से भिन्न)					
9	कानूनी उपदान के लिए व्यवस्था					
10	कोई अन्य व्यय जो लागत में सम्मिलित नहीं है । (विनिर्दिष्ट किए जाएंगे) योग					
11	घटाएं, अन्य आयक, जिन पर लागत में विचार नहीं किया गया है (मदें विनिर्दिष्ट की जाएंगी)					
12	आन्तरिक बाजार में विक्रय की गई मात्रा के लिए कुल व्यय, जिसमें उत्पाद-शुल्क सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।					
13	आन्तरिक बाजार में विक्रय की गई मात्रा की कुल विक्रय वसूली, जिसमें उत्पाद-शुल्क सम्मिलित नहीं किया जाएगा					
14	गुंजाइश					

टिप्पण :—(1) औद्योगिक ऐल्कोहाल के प्रत्येक प्रवर्ग । श्रेणी की बाबत समरूप लागू विवरण पृथक् रखे जाएंगे ।

(2) बहु–उत्पाद एककों की दशा में समान्य विक्रय, और वितरण व्ययों का प्रभाजन साम्यापूर्ण होगा ।

(3) कर्मचारियों के (प्रोत्साहन बोनस से भिन्न) बोनस, कानूनी उपादान की व्यवस्था और ब्याज प्रभार केवल इस निदर्शन-पत्र में पृथक् दर्शित किए जाएंगे किसी अन्य निदर्शन-पत्र में नहीं ।

(4) यदि कोई औद्योगिक ऐल्कोहाल अन्य देशों में निर्यात किया जाता है तो प्रत्येक प्रवर्ग और श्रेणी की बाबत पृथक् लागू विवरण रखे जाएंगे । निर्यात पर उपगत व्यय और इस पर अर्जित प्रोत्साहन, सुसंगत लागत विवरण में दर्शित किए जाएंगे ।

निवर्शन–पत्र 'ध'

कम्पनी का नाम———————————————————

आसवनी का नाम और पता———————————————————

———————————————————

———————————वर्ष के लिए औद्योगिक ऐल्कोहाल विनिर्माण क्रियाकलाप और अन्य क्रियाकलापों में कम्पनी के कुल व्ययों का आबंटन दर्शित करने वाला विवरण ।

क्रम संख्या	विशिष्टियां	सकल व्यय	निम्नलिखित को लागू भाग	
			औद्योगिक ऐल्कोहाल क्रियाकलाप	अन्य क्रियाकलाप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	उपभुक्त कच्ची सामग्री			
2	उपभुक्त प्रसंस्करण सामग्री			
3	उपभोज्य सामान			
4	प्रत्यक्ष वेतन और मजदूरी			
5	उपयोगी वस्तुए			
6	मरम्मत और रखरखाव			
7	अन्य संकर्म उपरिव्यय			
8	अवक्षयण			
9	प्रशासन उपरिव्यय			
	योग	———		
10	चालू कार्य के प्रारम्भिक और इति शेष में अन्तर के लिए समायोजन			
	योग	———		
11	घटाएं : वसूलियों की जमा खाते की गई रकम			
	(i) उपोत्पाद			
	(ii) अन्य			
12	घटाएं : इतर उपभोग			
	योग	———		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	तैयार माल के आरम्भिक और शेष स्टाक में अन्तर के लिए स्टाक समायोजन			
14	पैकिंग लागत, जिसमें पैकिंग सामग्री सम्मिलित है			
15	विक्रय और वितरण व्यय			
	योग			
16	ब्याज प्रभार			
17	कर्मचारियों को, प्रोत्साहन बोनस से भिन्न वार्षिक बोनस			
18	कानूनी उपदान के लिए व्यवस्था			
19	अन्य व्यय जो लागत में सम्मिलित नहीं है (मदें विनिर्दिष्ट की जाएंगी)			
20	घटाएं : अन्य व्यय, जिस पर लागत में विचार नहीं किया गया है (मदें विनिर्दिष्ट की जाएंगी)			
21	योग, उत्पाद-शुल्क को अपवर्जित करके			
22	निर्यात लाभों की, यदि कोई हो, कटौती कीजिए			
	शुद्ध योग			
23	उत्पाद-शुल्क को अपवर्जित करते हुए, शुद्ध विक्रय वसूली			
24	अन्तर (मार्जिन)			

इस निदर्शन-पत्र में की आय और व्यय की सभी मदों का समाधान संसगत अवधि के लिए वित्तीय लेखों से किया जाएगा ।

[सं० 52/139/73-सी०ए०बी०]

पी०बी० मेनन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976